पेट्रोल पंप (Retail Outlet) आवेदनकर्ताओं के लिए मानक अनुपालन संबंधी सुझाव।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्गो पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एक्सेस परमिशन की अनुमति हेतु एपीएमएस पोर्टल पर आवेदन करने के पूर्व कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें :-

- **ग्रामीण (Rural) क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप से इंटरसेक्शन की दूरी :-**

(1) यदि पेट्रोल पंप राज्य राजमार्ग पर प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित पेट्रोल पंप से 500 मीटर की दूरी तक राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, एवं 300 मीटर की दूरी तक किसी मुख्य जिला मार्ग का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए ।

(2) यदि पेट्रोल पंप मुख्य जिला मार्ग पर प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित पेट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी तक कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए।

- **नगरीय (Urban) क्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोल पंप से इंटरसेक्शन की दूरी:-**

(1) यदि जनसंख्या 20 हजार से 1 लाख के बीच है, तो प्रस्तावित पेट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी तक 3.5 मीटर एवं अधिक चौड़ाई के राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग का इंटरसेक्शन नही होना चाहिए, एवं 100 मीटर की दूरी तक 3.5 मीटर से कम चौड़ाई के राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए ।

(2) यदि जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो प्रस्तावित पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी तक किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए ।

- **प्रस्तावित पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी:-**

  (1) यदि पेट्रोल पंप ग्रामीण (Rural) क्षेत्र में एवं Undivided मार्ग पर प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित पेट्रोल पंप से विपरीत दिशा में 300 मीटर की दूरी तक कोई दूसरा पेट्रोल पंप नही होना चाहिए।

- **यदि पेट्रोल पंप Divided मार्ग पर प्रस्तावित है अर्थात मार्ग पर मीडियन अप एण्ड डाउन ट्रैफिक को अलग कर रहा है तो पेट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी में कोई भी Median Cut नहीं होना चाहिए।**

- **प्रस्तावित पेट्रोल पंप से टोल प्लाजा, चेक बैरियर एवं रेल्वे क्रासिंग की दूरी :-**

  (1) यदि पेट्रोल पंप ग्रामीण (Rural) क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो पेट्रोल पंप से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी टोल प्लाजा, चेक बैरियर एवं रेल्वे क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।

  (2) यदि पेट्रोल पंप नगरीय (Urban) क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो पेट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी तक कोई भी टोल प्लाजा, चेक बैरियर एवं रेल्वे क्रासिंग नहीं होना चाहिए।

- **प्रस्तावित पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी रोड ओवर ब्रिज (ROB) का Approach मार्ग नहीं होना चाहिए एवं 500 मीटर की दूरी तक कोई भी Grade Separator/Ramp नहीं होना चाहिए।**